C.R. 6.7.96

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक /96 निग० 30-VI/96

स्व० श्री अब्दुल गफूर के विधिक प्रतिनिधि अब्दुल अहद को माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 1-8-16 द्वारा संशोधन किया

1- मंजरे आलम

मृत 2- अब्दुल जलील पुत्रगण अब्दुल गफूर

निवासी काजी मोहल्ला करैरा तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म०प्र०)

--- आवेदकगण

242 - VI

क्रमांक
श्री मुकेश यादव 26.7.96
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक को प्रस्तुत 26.7.96
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

(1) मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी (म०प्र०)

(2) कृषि उपज मण्डी समिति करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.) --- अनावेदकगण

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 2-7-13 के अनुसार संशोधन

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 65/82-83 में पारित आदेश दिनांक 2-3-1994 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का नीचे लिखे अनुसार निवेदन है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, भूमि खसरा क्रमांक 1799, 1805, 1808, 1815, 1816 1817 तथा 1798/ 2831, कुल रकबा लगभग 25 बीघा (5, 04,310 वर्गफीट) स्थित कस्बा करैरा के भूमिस्वामी आवेदकगण के स्वर्गीय पिता अब्दुल गफूर एवं सह-भूमिस्वामी मोहम्मद बशीर थे ।

2- यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय, करैरा, आवेदकगण के पिता स्व० अब्दुल गफूर जिनका स्वर्गवास दिनांक 12-1-81

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 30–चार/1996 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित । आवेदक के अधिवक्ता को प्रकरण की ग्राह्यता बिन्दु पर सुना गया । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्र0 65/अपील/1982–83 में पारित आदेश दिनांक 02.03.94 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी की आज्ञा दिनांक 25.01.79 जिसके विरूद्ध कलेक्टर के यहां पक्षकार गये थे और कलेक्टर द्वारा दिनांक 23.09.82 को प्रकरण में आदेश पारित किया गया । अभिलेख के आधार पर यह साफ जाहिर है कि दिनांक 25.01.79 के विरूद्ध आवेदकगण दिनांक 17.12.81 को कलेक्टर के समक्ष अर्थात् लगभग 2 वर्ष 11 माह बाद आपत्ति प्रस्तुत की गई । अपील विलम्ब	

से प्रस्तुत करने के लिये अवधि विधान के अन्तर्गत कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में नहीं है । कलेक्टर के आदेश में समयावधि के प्रश्न पर विस्तृत विवेचाना की गई है । जिससे यह स्पष्ट होता है कि विलंब के कारणों के संबंध में कलेक्टर न्यायालय को पक्षकारों द्वारा संतुष्ट नहीं कराया जा सका है । आवेदकगण ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष भी वही मुद्दे उठाये है जिनका निराकरण कलेक्टर के द्वारा अपने स्तर पर किया गया है । जहॉ तक समयावधि के प्रश्न का है तो संहिता की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उदारतापूर्वक कार्यवाही किया जाना चाहिये। किन्तु कलेक्टर न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान ही नहीं दिया गया है । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा भी कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने में त्रुटि की है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है । प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 स्वीकृत होकर क्र0 3 मंडी समिति को पक्षकार बनाया जा चुका है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी विचार कर प्रकरण का पुनः गुण–दोषों के आधार कर निराकरण करना सुनिश्चित करें । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य